न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :— श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या :— 71/2023

1. हाजरा पत्नी मखणखां निवाी चक 1—2 एमडीएम खाजूवाला ।

.......प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ।

.... अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट

निर्णय दिनांक :—30.05.23

यह प्रार्थनापत्र न्यायालय हाजा में तहसीलदार खाजूवाला रिपोर्ट उपरान्त प्रस्तुत हुआ। प्रार्थनापत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण इसप्रकार है कि प्रार्थी के नाम चक 1—2 एमडीएम में मु0नं0 183/44 में 6/7 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जिसकी जमाबंदी में नाम हाजरा पत्नी मखणखां है लेकिन मरे सभी दस्तावेजों में नाम हाजरा खातुन है। जिसके कारण मुझ प्रार्थी को जमीन संबंधी काम केसीसी डिग्गी फाईल आदि करवाने में दिक्कत होती है। अतः आधारकार्ड के अनुसार जमाबंदी में नाम दर्ज करवाने के आदेश फरमावें।

सर्वप्रथम प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थनापत्र में तहसीलदार खाजूवाला रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीया का चक 1—2 एमडीएम में खाता सं0 64 में मु0नं0 183/44 के किला नं0 1 ता 25 में कुल रकबा 6.3225 है0 में 6/7 हिस्सा हाजरा पत्नी मखणखां के नाम से दर्ज है। प्रार्थी अपना नाम जमाबंदी में आधार कार्ड अनुसार हाजरा खातुन पत्नी मखणखां के नाम से दर्ज करवाना चाहती है। बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थीया ने प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे प्रार्थीया द्वारा तहसीलदार रिपोर्ट, प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर प्रार्थनापत्र स्वीकार करने का निवेदन किया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र को साक्ष्य/सबूत के तौर पर साबित करते हैं। अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अपने हक हिस्से तक की उक्त भूमि में हाजरा की जगह हाजरा खातुन दुरस्त किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र धारा 136 एलआरएक्ट एवं धारा 151 सीपीसी में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुवे स्वीकार किया जाकर तहसीलदार खाजूवाला को आदेश किया जाता है कि प्रार्थीया की उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम हाजरा की जगह हाजरा खातुन नियमानुसार दर्ज किया जावे। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल—दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),

(आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी,

(खाजूवाला)